भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2686

उत्तर देने की तारीख: 16.12.2025

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम

2686. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत एक भी पात्र छात्र छूट न जाए ताकि पात्र छात्रों के लिए शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त किया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति छात्रों के लिए प्री और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजनाओं को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में क्रमशः 2022-23 और 2021-22 से कार्यान्वित कर रहा है। केंद्रीय हिस्सा सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी किया जाता है। ये योजनाएं खुली (ओपन-एंडेड) और मांग पर आधारित हैं, जो पूरे भारत के सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों के पात्र छात्रों के लिए हैं। केंद्रीय हिस्से का जारी किया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा जारी करे और उससे संबंधित डेटा केंद्रीय पोर्टल/राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर भेजे।

इसके अलावा, मंत्रालय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजनाओं को भी लागू करता है जो 'फंड लिमिटेड' स्वरूप की हैं

और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद सैद्धांतिक आवंटन के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं।

प्रभावी निगरानी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र छात्रों को इन योजनाओं का लाभ मिले, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु नियमित रूप से क्षमता निर्माण और हैंडहोल्डिंग/क्लस्टर/क्षेत्रीय बैठकें और/या कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
- राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, राज्य स्तर पर हैंडहोल्डिंग बैठक करके और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरा करके समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर योजनाओं को शामिल किया जाता है और आरंभ से अंत तक ऑनलाइन प्रसंस्करण किया जाता है।
- लोगों तक पहुंच बढ़ाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं:

  - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्निपेट्स अपलोड किए जाते हैं।
  - राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारपत्रों में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन दिए जाते हैं।

*****